राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

संख्या : जी– 2752/जी0एस0,

दिनांक : 22 जुलाई, 2020

<u>नीलामी सूचना</u>

राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 स्थित स्टोर में उपलब्ध निष्प्रयोज्य घोषित उपकरणों की नीलामी "जहां है, जैसी है," के आधार पर दिनांक 06 अगस्त, 2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, गेट नं0–9, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ के प्रांगण में की जानी है। बोली लगाने वाले व्यक्ति जिनके पास जीएसटी पंजीकरण है, को नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व दिनांक 05 अगस्त, 2020 को सॉय 05.00 बजे तक रू0 1,500.00 (रूपया एक हजार पॉच सौ) मात्र की नगद धनराशि अर्नेष्ट मनी के रूप में कोषाध्यक्ष, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 के पास जमा करनी होगी। अधिकतम बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति को बोली की धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा और शेष 50 प्रतिशत धनराशि को स्वीकृति उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर निष्प्रयोज्य सामग्री को ले जाने से पूर्व जमा करना होगा। अन्य बोलीदाताओं की जमा धनराशि को वापस कर दिया जायेगा।। स्वीकृत बोली की धनराशि पर नियमानुसार देय शासकीय करों का भुगतान केता को करना होगा। यदि उक्त निर्धारित दिनांक 06 अगस्त, 2020 को अवकाश होता है तो नीलामी प्रक्रिया अगले कार्य दिवस को उसी समय/स्थान पर सम्पन्न होगी। नीलाम की नियम, शर्ते व नीलाम होने वाली सामग्रियों का विवरण राजभवन, उ0प्र0 की वेबसाईट **www.upgovernor.gov.in** पर देखा जा सकता है।

अन्तिम बोली स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 को होगा।

(साधना श्रीवास्तव)
विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक।

राज्यपाल सचिवालय स्थित स्टोर में पड़ी निष्प्रयोज्य सामग्रियों की सूचीः–

क्रम	सामग्री का नाम	क्रय वर्ष	दर	
1	पैनासोनिक फैक्स मशीन केएक्स एफपी 701सीएक्स	16.3.2017	रू0 11,335.00	
2	शार्प फैक्स मशीन एफओ पी610 77108994	5.2.2008	रू0 7,540.00	
3	रोटो पेपर शेडर रोटो100 सीसी 4X25 सीरियल नं0 000290ए	17.05.2006	रू0 5,200.00	
4	टोरस पेपर शेडर रोटो एस 100 सीसी 4X25 सीरियल नं0 000130ए	17.07.2006	रू0 5,200.00	
5	फोटो स्टेट मशीन	31.12.2007	रू0 7,2215.00	
6	कैमरा	24.09.2012	रू0 13,500.00	
7	फलोपी ड्राईव अटैचमेंट	11.12.1992	रू0 8,789.13	
8	फोटो स्टेट मशीन गोदरेज जी–1508	30.03.2004	रू0 77,290.00	
9	फोटो स्टेट मशीन 5821 IV जीराक्स	30.03.2005	रू0 96,876.00	
10	फोटो स्टेट मशीन 5821 IV जीराक्स	29.05.2006	रू0 83,435.00	

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027
शर्ते एवं नियम

1. नीलामी "जहां है जैसा है" के आधार पर होगी।

2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को रू0 1,500.00 (रूपये एक हजार पॉच सौ) मात्र की जमानत राशि नगद दिनांक 05.08.2020 को सॉय 05.00 बजे तक कोषाध्यक्ष, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, गेट नं0–9, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ के पास जमा करनी होगी । नीलामी के उपरान्त यह धनराशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा आवश्यक धनराशि जमा करने के उपरान्त अन्य बोलीदाताओं को वापस कर दी जायेगी। नीलामी दिनांक 06.08.2020 को 11.00 बजे राज्यपाल सचिवालय स्थित प्रांगण में की जायेगी।

3. उच्चतम बोलीदाता को तुरन्त पूर्ण धन का 50 प्रतिशत जमा करना होगा। अधिकतम बोली दाता द्वारा अगर निर्देशानुसार धन जमा नहीं किया जाता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी और द्वितीय अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में प्रकरण निस्तारित कर दिया जायेगा। शेष धनराशि सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति के उपरान्त जमा करनी होगी।

4. नीलामी की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 को होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त भी किया जा सकता है।

5. नीलामी मूल्य जिसमें नियमानुसार देय कर भी अलग से देय होगा। स्वीकृति के उपरान्त समस्त सामग्री को "जहां है जैसा है" के आधार पर सम्पूर्ण धन कर सहित जमा कराने के उपरान्त तीन दिन के अन्दर कार्य स्थल से हटाना होगा अन्यथा मूल्य का 02 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अधिभार लगाया जायेगा।

6. सामग्री का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सॉय 05.00 बजे के मध्य राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, गेट नं0–9, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ स्थित स्टोर में किया जा सकता है।

7. नीलामी खोलने की तिथि को यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में नीलामी अगले कार्य दिवस में होगी।

8. बोलीदाता एवं नीलामी समिति के मध्य विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

9. बोलीदाता एवं राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 के मध्य कानूनी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ (उ0प्र0) ही होगा।

10. बोलीदाता के जमानत धनराशि जमा करने पर यह माना जायेगा कि उसे उपरोक्त सभी शर्ते एवं नियम स्वीकार हैं।

(साधना श्रीवास्तव)
विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक।